न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 574/2023

अनवान : –

1. नरेश सिंह पुत्र कालुसिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 22/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 438/441 की कुल 9.4622 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि संयुक्त खाता में वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 438/441 की कुल 9.4622 हैक्ट भूमि में से संयुक्त रूप से वादी अकेला 1/4 हिस्सा भूमि में वादी के पिता का नाम सहवन से भैरूसिंह दर्ज हो गया है जबकि वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम कालुसिंह है। इसलिए वादी अपनी वल्दियत कालुसिंह दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 438/441 की कुल 9.4622 हैक्ट भूमि में वादी के पिता का नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी को कई परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी अपने वल्दियत भैरूसिंह की जगह कालुसिंह संशोधित करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में भैरूसिंह के स्थान पर कालुसिंह कर दे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा अपने पत्रांक 9362 दिनांक 21.07.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम भैरूसिंह के स्थान पर कालुसिंह किया जाना उचित है। वादी के पिता के नाम के संबंध में भंवरसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया, सरजीत पुत्र गोपीराम जाति नायक निवासी धानसिया द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जो की बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किये गये। वादी एवं अधिवक्ता वादी द्वारा वादी के नाम के संबंध में शपथ पत्र पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:41:38 IST
Reason: SelfAttested

पखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 438/441 की कुल 9.4622 हैक्ट भूमि में से संयुक्त रूप से वादी अकेला 1/4 हिस्सा भूमि में वादी के पिता का नाम सहवन से भैरूसिंह दर्ज हो गया है जबकि वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम कालुसिंह है। अतः प्रार्थी के मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर एवं गवाहों के बयान के आधार पर वादी के पिता का नाम भैरूसिंह के स्थान कालुसिंह दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 438/441 की कुल 9.4622 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि संयुक्त खाता में वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भैरूसिंह दर्ज है। वादी अपना मुताबिक दस्तावेज अपना नाम भैरूसिह के स्थान पर कालुसिंह दर्ज करवाना चाहता है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट एवं गवाहों के बयान के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट एवं वादी तथा अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 438/441 की कुल 9.4622 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी नरेश सिंह पुत्र भैरूसिंह के स्थान पर नरेश सिंह पुत्र कालुसिंह के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच नरेश सिंह पुत्र भैरूसिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नरेश सिंह पुत्र भैरूसिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:41:38 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 574 / 2023

अनवान : –

1. नरेश सिंह पुत्र कालुसिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 574 सन 2023 निर्णय दिनांक......22/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 438 / 441 की कुल 9.4622 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी नरेश सिंह पुत्र भैरूसिंह के स्थान पर नरेश सिंह पुत्र कालुसिंह के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच नरेश सिंह पुत्र भैरूसिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नरेश सिंह पुत्र भैरूसिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर

नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:41:38 IST
Reason: SelfAttested